पत्रांक : 14/विविध–15–22/2019 का0 5752

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 19/07/2019

विषय :– झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान निर्धारित की गयी है। साथ ही विभागीय परिपत्र सं0–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुदेश भी जारी किये गए हैं।

2. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के निर्गमन में कठिनाई को देखते हुए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारियों को भी प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सभी कार्यों/प्रयोजनों के लिए मान्य होंगे। अतएव विभागीय परिपत्र सं0–4650, दिनांक–02.06.2016 की कंडिका (iii) को संशोधित करते हुए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के स्तर से भी जारी होगा, जो प्रमाण पत्र धारक के जीवन काल तक सभी कार्यों के लिए मान्य होगा। पूर्व से अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन निर्गत किये जा रहे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। विभागीय परिपत्र सं0–4650, दिनांक–02.06.2016 की अन्य कंडिकाएं एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

विश्वासभाजन,

19/7/19

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–14/विविध–15–22/2019 का0 5752/ राँची, दिनांक–19/07/2019

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–14/विविध–15–22/2019 का0 5752/ राँची, दिनांक–19/07/2019

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

E:\chandan\letter 2019.docx